न्यायालय न्यायिक मजि०भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

मु०नं०- **२१७/२०१७**

सरकार बनाम पुष्पेन्द्र सिहं यादव

धारा ४२०,४६७,४६८ ,४७१भा०द०सं०

व धारा ६० आवकारी अधिनियम

थाना-भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

आरोप

मैं,विवेक कुमार सिह-प्रथम**,** न्यायिक मजि० भोगनीपुर,कानपुर देहात मे आप अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह यादव को निम्नवत आरोपित करता हूं ।

प्रथमतः यह कि दिनांक २६.१०.२०१६ को समय ०५.३० बजे बहद स्थान सुजगवा ग्राम स्थित कृष्णा ढाबा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात के अन्तगर्त आपके कब्जे से आबकारी अधीक्षक प्रवर्तन दल द्वारा तलाशी के दौरान काउन्टर के नीचे से दो बोरी मे एक एक बोरी मे २२ पौबा अंग्रेजी शराब बाम्बे स्पेशल विहस्की एसोसिएट एल्कोहल ब्रिवरीज लि० खोदी ग्राम धार जि० खरगांव मध्य प्रदेश आसवनी निर्मित जो केवल अरूणाचल प्रदेश मे बिक्री के लिए अनुमन्य थी ३५ पौबा देशी शराब करीना ब्राण्ड बरामद किए जाने पर आप द्वारा धारा ६० आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित किय गया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

द्वितीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपके कब्जे से अरूणाचल प्रदेश मे बिक्री के लिए अनुमन्य थी ३५ पौबा देशी शराब करीना ब्रांड के नकली व कूटरचित रैपर चस्पा कर छल किया और उपरोक्त शराब परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा ४२० के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

तृतीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपके कब्जे से अरूणाचल प्रदेश मे बिक्री के लिए अनुमन्य थी ३५ पौबा देशी शराब करीना ब्रांड के नकली रैपर इत्यादि की कूटरचना की । इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा ४६७ के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

चतुर्थतः यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपके कब्जे से अरूणाचल प्रदेश मे बिक्री के लिए अनुमन्य थी ३५ पौबा देशी शराब करीना ब्रांड के नकली शराब की छल के प्रयोजन से कूटरचना की। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा ४६८ के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

पंचमतः यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपके कब्जे से अरूणाचल प्रदेश मे बिक्री के लिए अनुमन्य थी ३५ पौबा देशी शराब करीना ब्रांड के नकली शराब पौबा कूटरचित करीना ब्राण्ड का असली के रूप मे उपयोग मे लाये। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा ४७१ के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक ३०.०५.२०१८

(विवेक कुमार सिह–प्रथम)
न्यायिक मजि०भोगगनीपुर
कानपुर देहात ।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्त ने विचारण की माग की ।

दिनांक ३०.५.२०१८

(विवेक कुमार सिह–प्रथम)
न्यायिक मजि०भोगगनीपुर
कानपुर देहात ।